उत्तराखण्ड पावर
कारपोरेशन लि०

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक : 3547 / महाप्र0(मा0सं0) / उपाकालि0 / दिनांक : 27.08.2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0 1212/I(2)/2020-06(02)/15/2015, दिनांक 01.10.2020 द्वारा शासनादेश सं0 205/XXVII(10)/2018/27(08)17, दिनांक 15.10.2018 के अनुरुप तथा निगमों को सातवां वेतनमान अनुमन्य सम्बन्धी शासनादेश सं0 1199/I(2)/2017-05-34/2016, दिनांक 25.09.2017 एवं शासनादेश सं0 1585/I(2)/2017-05-34/2016, दिनांक 22.12.2017 के तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् / उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लि0 / उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 के दिनांक 01.04.1984 से दिनांक 31.12.2015 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों / दिवंगत कार्मिकों / पारिवारिक पेंशनरों को एक रैंक एक पेंशन पुनरीक्षित किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदय की स्वीकृतोपरान्त पुनरीक्षित पेंशन निर्धारण का लाभ दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य होगा।

उक्त के कम में शासनादेश सं0 100/XXVII(10)/2022/02(02)2021, दिनांक 23.08.2022 एवं निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून के पत्र सं0 3491 / 205 / देहरादून / 2021 / 499 / ई–फाईल–182, दिनांक 24.08.2022 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् / उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड / उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड से दिनांक 01.04.1984 से 31.12.2015 तक सेवानिवृत्त पेंशनरों / दिवंगत पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के सम्बन्ध में आदेशित किया जाता है कि शासनादेश सं0 205/XXVII(10)/2018/27(08)17, दिनांक 15.10.2018 के प्राविधानों के अनुसार ऊर्जा निगम के 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों / दिवंगत कार्मिकों / पारिवारिक पेंशनरों जिनका ग्रेड़ वेतन / वेतनमान राज्य सरकार में प्रचलित ग्रेड वेतनों से भिन्न है, की पेंशन का पुनरीक्षण ऊर्जा विभाग के शासनादेश सं0 1212/I(2)/2020-06(02)/15/2015, दिनांक 01.10.2020 के कम में उपाकालि के आदेश सं0 4205 / महाप्रबन्धक(मा0सं0)प्र0 / उपाकालि, दिनांक 12.11.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जिन सेवानिवृत्त कार्मिकों / दिवंगत कार्मिकों / पारिवारिक पेंशनरों का पेंशन पुनरीक्षण शासनादेश सं0 205/XXVII(10)/2018/27(08)17, दिनांक 15.10.2018 के साथ संलग्न भारत सरकार / उत्तराखण्ड सरकार की पेंशन मैट्रिक्स में निकटतम ग्रेड़ वेतन / वेतनमान में संरक्षित कर, जारी तालिकाओं के अनुसार पेंशन निर्धारण करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अनिल कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : निदे0(मा0सं0) / उपाकालि0 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।
2. सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, ड़ालनवाला, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक (वित्त / परिचालन / परियोजना / मा0सं0), उपाकालि, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. कम्पनी सचिव / महाप्रबन्धक(विधि), उपाकालि, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, ...।
8. समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त) / समस्त उपमुख्यलेखाधिकारी, उपाकालि, ...।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपकालि, ...।
10. अधिशासी अभियन्ता(सू0प्रौ0), उपाकालि, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को वेबसाइट में अपलोड़ करने हेतु प्रेषित।

(डी0एस0 खाती)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून–248001, दूरभाषः 91–135–2763901 फैक्सः 91–135–2769771
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001. Phone: 91-135-2763901 Fax: 91-135 -2769771